प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया : 12.12.2025

आदेश पारित किया गया : 02.01.2026

आदेश अपलोड किया गया :02.01.2026

विविध दाण्डिक प्रकरण सं 8716/2025

1 – चैतन्य बघेल पिता श्री भूपेश बघेल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी 1/7, मानसरोवर परिसर, भिलाई, दुर्ग (छ.ग.) (वर्तमान में सेंट्रल जेल, रायपुर (छ.ग.) में न्यायिक अभिरक्षा में है)

---आवेदक

बनाम

1 – प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, सहायक निदेशक श्री सुनील कुमार सिंह के द्वारा, द्वितीय मंजिल, सुभाष स्टेडियम, मोती बाग, रायपुर, (सी.जी.) 492001

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक (ओं) हेतु :	:	श्री एन.हरिहरन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मयंक जैन, श्री मधुर जैन, श्री अर्पित गोयल और श्री दीपक जैन, श्री हर्षवर्द्धन परगनिहा, अधिवक्ताओं की सहायता से वीसी के माध्यम से
उत्तरवादी/ईडी हेतु	:	श्री जोहेब हुसैन और श्री प्रांजल त्रिपाठी, अधिवक्ता, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉ. सौरभ कुमार पांडे, उप महाधिवक्ता की सहायता से यह प्रस्तुति दी।

(माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश)

सी. ए. वी. आदेश

वर्तमान आवेदक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 (सीआरपीसी, 1973 की धारा 439 के समरूप) के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा ईसीआईआर के माध्यम से दर्ज किए गए अपराध के संबंध में नियमित जमानत की मांग की गई है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कथित अनुसूचित अपराधों से उत्पन्न धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. कार्यवाही का उद्भव:

वर्तमान कार्यवाही रायपुर स्थित ईओडब्ल्यू/एसीबी द्वारा दिनांक 17.01.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 04/2024 के आधार पर की जा रही है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 467, 471 और 120–बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी प्रशासन में वर्ष 2019 से 2023 की अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर आपराधिक षड़यंत्र रचने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को लगभग ₹ 2161 करोड़ का कथित नुकसान हुआ है।

3. पीएमएलए अन्वेषण का प्रारम्भ :

उक्त अनुसूचित अपराधों के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ईसीआईआर संख्या आरपीजेडओ/04/2024 दिनांक 11.04.2024 के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई।ईडी के प्रकरण का मुख्य बिंदु यह है कि कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से प्राप्त धनराशि "अपराध की आय" है, जिसे विभिन्न आरोपियों द्वारा छिपाया गया, कई परतों में प्रस्तुत किया गया और बेदाग संपत्ति के रूप में दिखाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्पाद शुल्क नीति ढांचा तथा संस्थागत संरचना :

राज्य की उत्पाद शुल्क नीति में 2017 में एक संरचनात्मक परिवर्तन हुआ, जब छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) का गठन किया गया, जिसे राज्य द्वारा संचालित आउटलेट्स के माध्यम से शराब की खुदरा विक्रय का विशेष दायित्व सौंपा गया, जबकि निर्माताओं से खरीद और भंडारण छत्तीसगढ़ राज्य पेय निगम लिमिटेड (सीएसबीसीएल) के माध्यम से किया जाता है।राज्य में शराब को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थात् देसी शराब (सीएल) और भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल), जिसमें देसी शराब का उत्पादन केवल राज्य के भीतर संचालित तीन डिस्टिलरी के माध्यम से किया जाता है।

5. अभिकथित आपराधिक सिंडिकेट तथा नियंत्रण तंत्र :

अभियोजन पक्ष के प्रकरण में यह आरोप है कि वरिष्ठ नौकरशाहों, राजनेताओं, उत्पाद शुल्क अधिकारियों और निजी संस्थाओं से मिलकर बने एक आपराधिक गिरोह ने वैधानिक उत्पाद शुल्क ढांचे को कमजोर कर दिया और सीएसएमसीएल को संस्थागत भ्रष्टाचार के एक साधन में बदल दिया।यह अभिकथित गया है कि योजना को लागू करने के लिए अरुण पति त्रिपाठी को सीएसएमसीएल के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि नीतिगत निर्णय और प्रशासनिक अनुमोदन शासन के उच्च स्तरों पर सुगम बनाए गए थे।

6. कार्यप्रणाली–भाग–ए (लेखांकित शराब) :

कथित षड़यंत्र के पहले भाग (भाग–ए) के तहत, सीएसएमसीएल द्वारा हिसाब–किताब वाली शराब की खरीद पर शराब बनाने वालों से कमीशन वसूला गया। वरीयता प्राप्त निर्माताओं को लाभ पहुंचाया गया, जबकि नियमों का पालन न करने वाले शराब बनाने वालों को दरकिनार कर दिया गया।आरोपित कमीशन प्रारम्भ में ₹75 प्रति प्रकरण निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया।अभियोजन पक्ष का आरोप है कि कमीशन की व्यवस्थित वसूली सुनिश्चित करने के लिए विक्रय संबंधी विस्तृत आंकड़ों का उपयोग किया गया था, जिसे कथित तौर पर सिंडिकेट के सदस्यों और राजनीतिक पदाधिकारियों के बीच साझा किया गया था।

7. कार्यप्रणाली–भाग–बी (अघोषित/अवैध शराब):

दूसरा भाग (भाग–बी) राज्य द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से कथित तौर पर अवैध "कच्चा" शराब के निर्माण और विक्रय से संबंधित है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोदामों और नियामक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए नकली होलोग्राम, बोतलें और परिवहन चैनलों का इस्तेमाल किया गया था। आरोप यह है कि सम्पूर्ण विक्रय नकद में की गई थी, जिसमें उत्पाद शुल्क या करों का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गिरोह ने अवैध रूप से धन अर्जित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. कार्यप्रणाली–भाग–सी तथा एफएल–10 ए लाइसेंस

कथित अवैध आय का तीसरा स्रोत (भाग–सी) शराब बनाने वालों के बीच गुटबंदी और बाज़ार आवंटन के बदले रिश्वतखोरी से उत्पन्न हुआ बताया जाता है।इसके अतिरिक्त, विदेशी शराब निर्माताओं से कमीशन वसूलने के लिए कथित तौर पर एफएल–10 ए लाइसेंस शुरू किए गए थे, जिसमें लाइसेंस धारक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे और सिंडिकेट के साथ लाभ साझा करते थे।

9. अपराध की अभिकथित आय का पैमाना:

ईडी के अनुसार, भाग–ए, भाग–बी, भाग–सी और एफएल–10 ए के माध्यम से अर्जित अपराध की कुल आय 2161 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा समानांतर रूप से की गई कार्यवाही में अनुसूचित अपराधों के माध्यम से 2500 करोड़ रुपये से अधिक की आय अर्जित करने का भी आरोप लगाया गया है।

10. विभिन्न अभियुक्तों तथा वर्तमान आवेदक को दी गई भूमिका:

अभियोजन पक्ष के प्रकरण में नौकरशाहों, राजनेताओं, उत्पाद शुल्क अधिकारियों, शराब बनाने वालों, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं, मानव संसाधन ठेकेदारों, होलोग्राम आपूर्तिकर्ताओं और नकदी संग्रह एजेंसियों को अलग–अलग भूमिकाएँ सौंपी गई हैं, और आरोप लगाया गया है कि प्रत्येक वर्ग कथित रैकेट के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य कर रहा था।

11. वर्तमान आवेदक की भूमिका के संबंध में, यह आरोप लगाया गया है कि वह कुछ ऐसे व्यक्तियों से जुड़ा हुआ था जो उक्त सिंडिकेट का हिस्सा बताए जाते हैं।हालांकि, अभिलेखों से ज्ञात होता है कि आवेदक पर आबकारी विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड(सी. एस. एम. सी. एल.), छत्तीसगढ़ राज्य पेय निगम लिमिटेड (सी. एस. बी. सी. एल.), या आबकारी नीति के निर्माण या कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी प्राधिकरण में कोई आधिकारिक या वैधानिक पद धारण करने का आरोप नहीं है।अभियोजन सामग्री में आवेदक से संबंधित कोई प्रशासनिक आदेश, नीतिगत निर्णय, लाइसेंस, निविदा या आधिकारिक कार्य नहीं है।आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप मुख्य रूप से पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों और व्यापक रूप से संबंधित दावों पर आधारित हैं, जिसमें कथित योजना के निष्पादन में सीधे तौर पर उससे जुड़े किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य का कोई संदर्भ नहीं है।अभियोजन पक्ष के स्वयं के आरोपों के अनुसार, अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह साबित होता है कि आवेदक प्रमुख सिंडिकेट सदस्यों अनवर ढेबर और त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था और उसने शराब घोटाले की अवैध आय से कमीशन के रूप में लगभग 1000 करोड़ रुपये नकद प्राप्त किए थे।

12. कार्यवाही का चरण :

ईडी ने पीएमएलए के तहत माननीय विशेष न्यायालय में कई अभियोग परिवाद, जिनमें पूरक परिवाद भी शामिल हैं, दायर की हैं। एसीबी/ईओडब्ल्यू ने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किए हैं। अभिलेख और प्रस्तुत दस्तावेजों से ज्ञात होता है समय के साथ–साथ अतिरिक्त परिवाद और पूरक दस्तावेजों के साथ अन्वेषण का दायरा भी बढ़ा दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक की ओर से प्रस्तुतियाँ :

I. ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत अभियोजन – संवैधानिक न्यायालयों का जमानत क्षेत्राधिकार

13. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि वर्तमान प्रकरण प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएलए के तहत पंजीकृत किया गया है, फिर भी बीएनएसएस की धारा 483 के तहत जमानत देने की इस न्यायालय की शक्ति बरकरार है और स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।सर्वोच्च न्यायालय ने **विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) 10 एससीसी 386** में,पीएमएलए ढांचे को बरकरार रखते हुए, स्पष्ट रूप से कहा है कि **"पीएमएलए की धारा 45 के तहत संतुष्टि केवल प्रथम दृष्टया है और यह अपराध साबित करने के बराबर नहीं है।"** इस प्रकार, ईडी के प्रकरण में भी जमानत को यांत्रिक रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

II. धारा 45 पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तें – प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि पूरी हुई

14. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत दोनों शर्तें जमानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती हैं।न्यायालय को प्रथम दृष्टया राय बनानी होती है, न कि साक्ष्य का विस्तृत मूल्यांकन

करना।वर्तमान प्रकरण में, ईडी यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रही है कि आवेदक अपराध की आय को लॉन्ड्रिंग करने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल था या उसके पास ऐसी कोई आय है। परिणामस्वरूप, आवेदक के पक्ष में वैधानिक सीमा पूरी हो जाती है।सर्वोच्च न्यायालय ने **कार्ति चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2022)11 एससीसी 566** प्रकरण में पीएमएलए प्रकरण में जमानत देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि "गिरफ्तारी केवल इसलिए अनिवार्य नहीं है क्योंकि यह वैध है। अभिरक्षा में रखना आवश्यकता के आधार पर उचित होना चाहिए।"

15. यह दावा किया गया है कि आवेदक के पास अपराध की आय प्रत्यक्ष रूप से होने का कोई प्रमाण नहीं हैउस पर आरोप है कि उसने केवल संडिकेट को सुविधा प्रदान की और व्यक्तिगत रूप से कोई भी अवैध धन प्राप्त नहीं किया।सह–अभियुक्तगण ने कथित तौर पर लेन–देन और प्रॉक्सी का कार्य संभाला; आवेदक की संलिप्तता को नगण्य माना जाता है। इस प्रकार, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आवेदक ने स्वयं अपराध की पहचान योग्य आय को संपत्ति में परिवर्तित या निवेश किया है।पीएमएलए के तहत, किसी व्यक्ति को तब तक मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी नहीं माना जा सकता है जब तक कि वह जानबूझकर ऐसी आय से निराकरण में सहायता नहीं करता है। आवेदक के अधिवक्ता ने इस बात से इनकार किया कि कोई संबंध या आय स्थापित हुई है और तर्क दिया कि अचल संपत्ति सौदों या नकद हस्तांतरण में पाई गई धनराशि उसके द्वारा किए गए किसी मूल अपराध से नहीं आई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

III. ईडी द्वारा गिरफ्तारियां –अभिरक्षा उचित होनी चाहिए, दंडात्मक नहीं।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को दंडात्मक उपाय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।एक बार जब अन्वेषण लगभग पूरी हो जाती है तथा कोई बरामदगी लंबित नहीं होती है, तो निरंतर कारावास असंवैधानिक हो जाता है।**संजय चंद्र बनाम सीबीआई (2012) 1 एससीसी 40** में, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक अपराधों से संबंधित प्रकरण पर विचार करते हुए कहा कि "**जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक।"स्वतंत्रता से वंचित करने को बाध्यकारी कारणों से उचित ठहराया जाना चाहिए।"**

17. उक्त सिद्धांत को **पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2020) 13 एससीसी 791** में दोहराया गया है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के एक प्रकरण में जमानत देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि "**अपराध की गंभीरता अकेले जमानत का निर्णायक कारक नहीं हो सकती है।"**

18. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की गिरफ्तारी को यांत्रिक, अनुचित और संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण बताते हुए चुनौती दी है। उनका तर्क है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग उसमें निहित वैधानिक सुरक्षा उपायों की घोर अवहेलना करते हुए किया गया है।यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक को दी गई गिरफ्तारी के आधार अस्पष्ट, दोहरावपूर्ण और अभियोजन परिवाद में पहले से मौजूद आरोपों की लगभग हूबहू नकल हैं, जिनमें अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता वाली

किसी भी आपातकालीन परिस्थिति का खुलासा नहीं किया गया है।यह तर्क दिया जाता है कि गिरफ्तारी किसी भी नए आपत्तिजनक साक्ष्य पर आधारित नहीं है जो उससे ठीक पहले बरामद किया गया हो, बल्कि यह केवल पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों और ईडी के कब्जे में पहले से मौजूद दस्तावेजी सामग्री पर आधारित है।

19. उनका तर्क है कि सामग्री का मात्र अस्तित्व गिरफ्तारी की आवश्यकता के समानार्थक नहीं है।आवेदक अन्वेषण में सहयोग कर रहा था, समन के अनुसार उपस्थित हुआ था और न तो फरार था और न ही अन्वेषण में बाधा डाल रहा था।यह संतोषजनक नहीं है कि गिरफ्तारी क्यों अपरिहार्य थी, जबकि आवेदक को स्वतंत्र रखते हुए अन्वेषण जारी रखी जा सकती थी।यह निवेदन किया जाता है कि अधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया "विश्वास का कारण" धारा 19 के तहत दो आवश्यकताओं, अर्थात् (i) यह विश्वास कि व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी है और (ii) गिरफ्तारी की आवश्यकता, पर स्वतंत्र रूप से विचार करने को प्रतिबिंबित नहीं करता है।आवेदक के अनुसार, गिरफ्तारी के आधार कथित अपराध और तत्काल स्वतंत्रता से वंचित करने की आवश्यकता के बीच किसी भी तरह के प्रत्यक्ष संबंध को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं।

20.सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों पर भरोसा करते हुए, आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ईसीआईआर के पंजीकरण या परिवाद दर्ज करने पर पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी स्वतः नहीं होती है और स्पष्ट आवश्यकता के बिना निरंतर कारावास पूर्व–विचारण दंड के समान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

IV. शि**क्षा संबंधी प्रकरण में दीर्घकालीन कारावास – संवैधानिक सुरक्षा उपाय :**

21. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों में, जहां विचारण स्वाभाविक रूप से लंबे चलते हैं, लंबे समय तक कारावास अनुच्छेद 21 के मूल सिद्धांतों पर ही प्रहार करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2024) एससीसी ऑनलाइन एससी** मामले में पीएमएलए के तहत जमानत देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **"जब आरोपी को पर्याप्त कारावास भुगतना पड़ा हो तथा विचारण का जल्द समाप्त होने की संभावना न हो, तो निरंतर अभिरक्षा अनुचित है।"**विचारण की कार्यवाही शुरू न होने के कारण लंबे समय तक पूर्व–विचारण अभिरक्षा में रखे जाने से अभियुक्त को अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले "शीघ्र विचारण के अधिकार" से वंचित किया गया।**"इसी प्रकार, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 में** सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संवैधानिक न्यायालयों को कठोर विधियो के तहत भी जमानत देने का अधिकार है, जहां विचारण में विलंब के कारण लंबी अभिरक्षा हो जाती है।यह तर्क दिया गया है कि यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है कि अभिरक्षा में काफी समय बीत जाने के बावजूद विचारण शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते न्याय के हित में जमानत देना अनिवार्य है।

22. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आरोप निर्धारित करने या विचारण शुरू करने में हुई अत्यधिक विलंब को उजागर किया है।वह पहले ही पांच महीने से अधिक समय अभिरक्षा में बिता चुका है।

यह तर्क दिया गया है कि मनीष सिसोदिया के प्रकरण में न्यायालय ने दोहराया था कि निष्पक्ष और त्वरित विचारण का अधिकार अलंघनीय है।इस प्रकरण में सह–आरोपियों ने अलग–अलग तरीकों से षड़यंत्र में भाग लिया है।उनमें से कई पहले से ही जमानत पर या कम अवधि की अभिरक्षा में हैं।इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक की भूमिका पर्यवेक्षी या कार्यकारी नहीं थी, जैसा कि अन्य लोग इस सिद्धांत का उल्लेख देते हुए कहते हैं कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। यह तर्क दिया जाता है कि केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर जमानत से इनकार करना एक तरह की चालाकी होगी, विशेष रूप से तब जब अन्य आरोपी व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है।

23. उन्होंने आगे तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के एक अवलोकन में कहा गया है कि जमानत को "दंड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए" और जीवन और स्वतंत्रता के प्रकरण में किसी को "इधर–उधर भटकने" के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान वी. सेंथिल बालाजी (उपरोक्त) के प्रकरण की ओर भी दिलाया था, जिसमें न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में जमानत की शर्तों में ढील दी थी, यह देखते हुए कि भले ही वैधानिक शर्तें सख्त हों, विचारण रुक गया था और सुरक्षा उपायों के साथ जमानत दी गई थी, और इसी तरह के न्यायसंगत विचार यहां जमानत देने का आदेश देते हैं, जो इस न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली किसी भी शर्त के अधीन हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

V. अभिलेख के गुम होने या छेड़छाड़ का कोई खतरा नहीं – ईडी का अभिलेख पर पूर्ण नियंत्रण है :

24. यह निवेदन किया जाता है कि ईडी ने सभी सुसंगत दस्तावेज़ और सामग्री पहले ही जब्त कर ली है। ऐसा कोई आरोप नहीं है, और न ही कोई ऐसी सामग्री है जिससे यह संकेत मिले कि आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा यासाक्षीयों को प्रभावित करेगा।**दताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य(2018) 3 एससीसी 22 में** सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि **"किसी व्यक्ति को ठोस कारणों के बिना स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, मात्र आशंका अपर्याप्त है।"**

VI. आपातकालीन प्रकरण में भी गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है :

25. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह व्यक्त करते है की विशेष विधि के तहत भी गिरफ्तारी स्वतः होने वाला परिणाम नहीं है।सर्वोच्च न्यायालय ने **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 1 एसएस 676** में यह अभिनिर्धारित किया है कि **"यदि आरोपी ने अन्वेषण में सहयोग किया है और गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, तो अभिरक्षा पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।"**

26. इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि की स्थापित स्थिति के आलोक में, अन्वेषण पूरी होने के बाद ईडी में पंजीकृत पीएमएलए मामले में आवेदक को निरंतर कारावास में रखना पूर्व–विचारण दंड के बराबर होगा जो विधि में अस्वीकार्य है।

VII. वि**चारण की लंबी अवधि और शीघ्र निष्कर्ष की संरचनात्मक असंभवता :**

27. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह व्यक्त करते है की यह प्रकरण एक ऐसे अभियोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें विचारण की संरचना इस प्रकार है कि उचित समय सीमा के भीतर इसे पूरा करना असंभव है। पीएमएलए की कार्यवाही में ही 21 आरोपी, 64 साक्षीयों और कई हजार पन्नों के 325 से अधिक दस्तावेज़ शामिल हैं।प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, अन्वेषण अभी भी जारी है।

28. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल अपराध में ही 51 आरोपी, 1110 साक्षीयों तथा 990 दस्तावेज़ शामिल हैं, जिससे अनुसूचित अपराध के विचारण का निकट भविष्य में समापन लगभग असंभव हो जाता है।यह अब स्थापित विधि है कि पीएमएलए के तहत विचारण मूल अपराध के विचारण के समापन से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता है।सर्वोच्च न्यायालय ने **वी. सेंथिल बालाजी बनाम राज्य (2024) 3 एससीसी 51** मामले में इस विधिक स्थिति की निर्णायक रूप से पुष्टि की है।इस स्वीकृत तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आलोक में, आवेदक को निरंतर कारावास में रखना अनिश्चितकालीन पूर्व-विचारण अभिरक्षा के समान होगा, जो संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।

VII. पीएमएलए प्रकरण में जमानत जहां विचारण का जल्द निष्कर्ष निकलने की संभावना नहीं है **:**

29. सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि जहां विचारण के शीघ्र समापन की कोई संभावना नहीं है, वहां पीएमएलए प्रकरण में भी जमानत अनिवार्य है, भले ही धारा 45 के प्रावधान कितने भी कठोर क्यों न हों।ईडी का यह तर्क कि अभिरक्षा की अवधि एक निश्चित सीमा से अधिक होनी चाहिए, विधिक रूप से मान्य नहीं है।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उचित मापदंड कारावास की अवधि स्वयं नहीं है, बल्कि विचारण के समय पर निष्कर्ष की संभावना है, विशेष रूप से पीएमएलए प्रकरण में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. निम्नलिखित आधिकारिक निर्णयों पर भरोसा किया गया है:

- **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1920**
- **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713**
- **जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024) 9 एससीसी 813**
- रा**मलीपाल मीना बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (आपराधिक) संख्या 3205/2024**

इन निर्णयों में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 को प्रक्रियात्मक कठोरता की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता है और यह कि लंबे समय तक विचारण की वास्तविक संभावना के बिना कारावास अस्वीकार्य है।

VIII. समानता के आधार पर जमानत **:**

31. 21 आरोपियों में से 7 को गिरफ्तार किया जा चुका है और 5 को जमानत मिल चुकी है, जिनमें शामिल हैं:

- अनिल तुतेजा - आदेश दिनांक **15.04.2025 (**एसएलपी **(**क्रिमिनल**)** संख्या **3148/2025);**
- अरुण पति त्रिपाठी - आदेश दिनांक **12.02.2025 (**क्रिमिनल अपील संख्या **725/2025);**

• त्रिलोक सिंह ढिल्लों - आदेश दिनांक **26.03.2025 (**क्रिमिनल अपील संख्या **1535/2025);**
• अनवर ढेबर - आदेश दिनांक **19.05.2025 (**क्रिमिनल अपील संख्या **2669/2025);**
• अरविंद सिंह - आदेश दिनांक **13.05.2025 (**क्रिमिनल अपील संख्या **2576/2025);**

आवेदक की कथित भूमिका उन कई आरोपियों की तुलना में काफी कम है जिन्हें पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है।अतः आवेदक को जमानत देने से इनकार करना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जो जमानत संबंधी न्यायशास्त्र का एक सर्वमान्य पहलू है।

32. यह भी निवेदन किया जाता है कि ईडी ने स्पष्ट रूप से चुनिंदा गिरफ्तारियों को अंजाम देने की नीति अपनाई है।कई आरोपी, जिनकी भूमिका अधिक गंभीर और प्रत्यक्ष है, जिनमें उत्पाद शुल्क अधिकारी और शरारत भस्मीकरण कारखाने के मालिक शामिल हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष लाभार्थी माना जाता है, कभी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं।चयनात्मक गिरफ्तारी को न्यायिक रूप से जमानत देने का एक सुसंगत और महत्वपूर्ण आधार माना गया है, जिसमें पीएमएलए प्रकरण भी शामिल हैं।भरोसा निम्नलिखित पर रखा गया है:

• विपिन यादव बनाम ईडी**, 2025** एससीसी ऑनलाइन डेल **6237**
• चंद्र प्रकाश खंडेलवाल बनाम ईडी**, 2023** एससीसी ऑनलाइन डेल **1094**
• मध्य प्रदेश राज्य बनाम शीतला सहाय **(2009) 8** एससीसी **617**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

IX. न्यायालय की स्वीकृति के बिना आगे की अन्वेषण :

33. ईडी द्वारा दायर सभी अभियोजन परिवाद में दर्ज है कि आगे की अन्वेषण लंबित है, फिर भी विशेष न्यायालय की स्वीकृति नहीं मांगी गई, जबकि अनिवार्य रूप से इसकी आवश्यकता थी।इस न्यायालय ने **सीआर.एम.पी. सं** 2056/2025 में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है किः

आगे की अन्वेषण के लिए कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई;यह अनियमितता जमानत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।यह विधिक स्थिति कि विशेष न्यायालय की पूर्व स्वीकृति के बिना ईडी द्वारा कोई आगे की अन्वेषण नहीं की जा सकती है, इस प्रकार स्थापित है:

• विजय **मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ** (2023) 12 **एससी**सी **1**

• भुपेश **कुमार बघेल बनाम। ईडी डब्ल्यूपी सं.** 301/2025 **दिनांकित** 11.08.2025।

प्रमाथा नाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन सरकार, 1961 एससीसी ऑनलाइन एससी 155 में निर्धारित संकीर्ण अपवाद को संतुष्ट किए बिना बार–बार पूरक परिवाद दाखिल करने से अभियोजन पक्ष का प्रकरण और कमजोर हो जाता है।

X. आवेदक से अपराध की आय की कोई वसूली नहीं की जाएगी :

24. पीएमएलए की धारा 17 के तहत **10.03.2025 और 18.07.2025 को तलाशी ली गई,** जिसमें आवेदक से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिलता है।अपराध की आय की बरामदगी न होना जमानत देने के लिए एक

महत्वपूर्ण कारक है, जैसा कि पारस मल लोढ़ा बनाम सहायक निदेशक, 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 8676 में अभिनिर्धारित किया गया है।

XI. अविश्वसनीय धारा **50** के बयानों पर पूर्णतः निर्भरता। **:**

ईडी का प्रकरण मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण बंसल (एलएनबी) के बयानों पर आधारित है, जो दबाव में लिए गए, अप्रमाणित, असंगत और अनिश्चितकालीन वारंट जारी होने के बाद दर्ज किए गए हैं।

34. एलएनबी स्वयं अभियुक्त है तथा फरार है।आयकर अभिलेखों में एलएनबी के दिनांक 27.01.2021 के दोषमुक्ति संबंधी बयान शामिल हैं, जिनमें उन्होंने शराब मामले से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार किया है। इस न्यायालय ने अपने दिनांक 17.10.2025 के आदेश (सीआर.एम.पी. संख्या. 2056/2025) में पहले ही यह अभिनिर्धारित किया है कि खुली अवधि के वारंट और चयनात्मक जांच के दौरान दर्ज किए गए ऐसे बयान जमानत के लिए सुसंगत हैं।वैसे भी, सह–आरोपियों के स्वीकारोक्ति बयान ठोस सबूत नहीं होते, जैसा कि इसमें अभिनिर्धारित किया गया है:

- प्रेम प्रकाश बनाम ईडी **(2024) 9** एससीसी **787;**
- सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य **(2023) 11** एससीसी **255;**
- हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य**, 1964** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एससी **255**

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड के संबंध में, इनका कोई दोष सिद्ध करने वाला प्रमाण नहीं है।कथित व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड शराब घोटाले से संबंधित नहीं हैं और इनमें कोई भी सहायक सामग्री नहीं है। यह स्थापित विधि है कि असंबद्ध चैट या अलग–अलग दस्तावेजों के आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि निम्नलिखित मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है :

- प्रीति चंद्र बनाम ईडी (2023) 3 एचसीसी (डेल) 1;
- मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ (2017) 11 एससीसी 731;
- सी. बी. आई. बनाम वी.सी.शुक्ला (1998) 3 एस. सी. सी. 410।

ईडी, पीएमएलए की धारा 3 और 24 के तहत अपेक्षित तीन मूलभूत तथ्यों में से किसी को भी साबित करने में विफल रही है, अर्थात्:

i) अपराध से प्राप्त आय का अस्तित्व;

ii)आवेदक का ऐसी आय से संबंध;

iii) ऐसी आय को बेदाग साबित करने का दावा या प्रस्तुति।

यहां तक कि एलएनबी को कथित तौर पर लौटाए गए 2 करोड़ रुपये भी अभियोजन परिवाद का हिस्सा नहीं हैं और यह धारा 50 के तहत देर से दिए गए बयान पर आधारित है तथा इसका अपराध की आय से कोई संबंध नहीं है।

36. आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक को तीन साल तक कभी तलब नहीं किया गया है, पहले कभी उसका नाम नहीं लिया गया और कथित तौर पर जबरन बयान लेने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया – जो सत्ता के लक्षित और भेदभावपूर्ण प्रयोग को दर्शाता है।अतः, अभियोजन पक्ष के प्रकरण के ढांचे के भीतर ही, आवेदक को सौंपी गई भूमिका अप्रत्यक्ष और अनुमानित प्रतीत होती है, जो कथित संलिप्तता से उत्पन्न होती है, न कि अपराध करने के स्पष्ट कृत्यों या अपराध की आय के प्रत्यक्ष प्रबंधन से, जिसका साक्ष्य मूल्य विचारण का विषय है।इस प्रकार, तथ्यों, स्थापित विधिक सिद्धांतों और संवैधानिक अनिवार्यताओं पर समग्र और संचयी विचार करने पर, आवेदक ने पीएमएलए की कठोरताओं के भीतर भी जमानत दिए जाने के लिए एक मजबूत प्रकरण प्रस्तुत किया है।

ईडी के स्वयं के बारे में निवेदन :

37. ईडी के विद्वान अधिवक्ता श्री हुसैन ने आवेदक के खिलाफ सबूतों का एक व्यापक संग्रह प्रस्तुत किया है, जिसमें शामिल हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 50 कथन –कई साक्षीयों (जिन्हें पीएमएलए की धारा 50 के तहत तलब किया गया था) के रिकॉर्ड किए गए स्वीकारोक्ति बयान और कथात्मक बयान, जिनमें आवेदक को अपराध की आय को संभालने में शामिल बताया गया है।(सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि ऐसे बयान स्वीकार्य हैं और प्रथम दृष्टया मामला साबित कर सकते हैं।)डिजिटल तथा वित्तीय डेटाःट्सएप चैट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के फोरेंसिक विश्लेषण से अवैध धन के लेन–देन के बारे में संचार का खुलासा हुआ, साथ ही बैंक और रियल एस्टेट लेनदेन के दस्तावेजों से व्यापक नकदी प्रवाह और धन की कालानुक्रमिक हेराफेरी के प्रमाण मिले।

प्रोजेक्टिव भागीदारीः दस्तावेजी और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य जो शराब सिंडिकेट को नियंत्रित करने में आवेदक की सक्रिय भूमिका को दर्शाते हैं।कैश बुक प्रविष्टिःएक बहीखाते में एक प्रमुख गिरोह संचालक को 2 करोड़ रुपये की वापसी का उल्लेख (अपराध के सबूतों को मिटाने के लिए)।असहयोग (धारा 17 पीएमएलए):ईडी ने पाया कि आवेदक ने बार–बार समन से बचने की कोशिश की तथा अन्वेषण में सहयोग नहीं किया, जिससे अन्वेषण बाधित हुई।(न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वैध समन की अनदेखी करना अन्वेषण में बाधा डालने के बराबर है)।कुल मिलाकर, यह सामग्री प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर आवेदक को शराब घोटाले में बड़ी रकम की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाती है (ठीक उसी तरह जैसे तरुण कुमार बनाम ईडी मामले में पाया गया कि धारा 50 के तहत दिए गए बयान और दस्तावेज यह दिखा सकते हैं कि आरोपी ने "जानबूझकर" आय को संभाला था)।

38. उनका निवेदन है कि पीएमएलए की धारा 45(1) स्पष्ट रूप से धन शोधन के अपराधों को संज्ञेय और गैर–जमानती बनाती है, जो सीआरपीसी का उल्लंघन है। इसमें प्रावधान है कि किसी आरोपी को जमानत पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि दो शर्तें पूरी नहीं किया जाता हैः

(I) लोक अभियोजक की सुनवाई हो चुकी हो और (ii) न्यायालय संतुष्ट हो कि आरोपी के धन शोधन के अपराध में दोषी न होने और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना न होने के उचित आधार हैं।संक्षेप में, जमानत देने के लिए दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।न्यायालय ने बार–बार इन शर्तों को अनिवार्य और कठिन बताया है।

• अ**निवार्य दोहरी शर्तेंः**

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि धारा 45 लगभग "जमानत नहीं" की व्यवस्था लागू करती है।**विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022)** मामले में न्यायालय ने कठोर जमानत प्रावधानों को बरकरार रखते हुए कहा कि पीएमएलए निर्दोषता की धारणा को उलट देता है और प्रथम दृष्टया जमानत के लिए मामला साबित करने का भार आरोपी पर डालता है।इसी प्रकार **गौतम कुंडू बनाम ईडी** और उसके बाद के मामलों में यह दोहराया गया है कि धारा 45 की दोहरी शर्तें "अनिवार्य हैं और इनका पालन करना आवश्यक है"।तरुण कुमार (2023) मामले में न्यायालय ने दोहराया कि सीआरपीसी कि धारा 439 के तहत जमानत दिए जाने से पहले इन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।इस प्रकार, पी. एम. एल. ए. में जमानत वास्तव में अपवाद है न कि मानक।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

• **अपराध की प्रकृतिःगंभीर अपराध:**

पीएमएलए एक “विशेष विधि” है जो मनी लॉन्ड्रिंग को लक्षित करता है, जिसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले“अपराध का एक गंभीर रूप” बताया गया है।कन्हैया प्रसाद बनाम भारत संघ (2025) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि धन शोधन की गंभीरता को देखते हुए, ज़मानत मांगने के तरीके की परवाह किए बिना, धारा 45 के कठोर प्रावधानों को "बिना किसी अपवाद के" लागू किया जाना चाहिए।इस मामले में भारी दांव पर लगी रकम (कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक का धन शोधन किया गया) को देखते हुए, इस न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए।

• अभियुक्त पर भार :इन शर्तों को पूरा करने का दायित्व आवेदक पर है।आरोपी को प्रथम दृष्टया अपनी निर्दोषता और पुन: अपराध की संभावना न होने का प्रमाण देना होगा (और यह केवल संभावनाओं के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है)।तरुण कुमार मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि यदि अभिलेख पर मौजूद बयान और दस्तावेज़ आरोपी को दृढ़ता से दोषी ठहराते हैं, तो वह अपनी निर्दोषता और पुन: अपराध की संभावना न होने का प्रमाण देने की "प्राथमिक शर्तों को पूरा करने में विफल" रहा है।

39. अतः उनका निवेदन है कि इन सिद्धांतों को लागू करने पर, आवेदक स्पष्ट रूप से धारा 45 की शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है।प्रथम दृष्टया निर्दोषता का कोई प्रकरण नहीं बनता है। धारा 50 के तहत दिए गए कई बयानों और वित्तीय अभिलेखों सहित साक्ष्य, आवेदक की अवैध धन के लेन–देन में संलिप्तता की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं।**तरुण कुमार मामले की तरह**, जहां ऐसे साक्ष्य को धन शोधन चक्र में आरोपी की भूमिका को दर्शाने के लिए पर्याप्त माना गया था, वही निष्कर्ष यहां भी लागू होता है:

ईडी के पास मौजूद साक्ष्य आवेदक पर स्पष्ट संदेह पैदा करते हैं।उसने न तो इन आरोपों का खंडन किया है और न ही इन्हें संतोषजनक ढंग से समझाया है।वास्तव में , अन्वेषण सामग्री से उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता का संकेत मिलता है (उन्होंने उत्पाद शुल्क विभाग का प्रबंधन किया और उससे प्राप्त आय से लाभ उठाया), जिससे प्रथम दृष्टया निर्दोषता का दावा कमजोर पड़ जाता है।उनका तर्क है कि पीएमएलए के तहत अपराध संज्ञेय और गैर–जमानती है और विधायिका ने जानबूझकर धारा 45 के तहत एक कठोर जमानत व्यवस्था लागू की है।धारा 45 के तहत दोनों शर्तें अनिवार्य और संचयी हैं और जब तक दोनों पूरी नहीं होतीं, न्यायालय को जमानत देने का अधिकार नहीं है।**विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) और तरुण कुमार बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2023)** पर दृढ़तापूर्वक भरोसा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि प्रथम दृष्टया निर्दोषता साबित करने का भार पूरी तरह से आरोपी पर है।

40. अभियोजन पक्ष ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों पर भरोसा किया है जो साक्ष्य में स्वीकार्य हैं।**रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2018) 11 एससीसी 4 6 में**, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 50 के तहत दर्ज बयान स्वीकार्य हैं और जमानत के चरण में प्रथम दृष्टया राय बनाने का आधार बन सकते हैं।दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमानतुल्लाह खान बनाम ईडी, 2024 एससीसीऑनलाइन डेल 1658 मामले में यह पुनः पुष्टि की है कि जमानत/अग्रिम जमानत पर विचार के चरण में ऐसे बयान साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं।इसलिए, आवेदक द्वारा धारा 50 के तहत दिए गए बयानों के साक्ष्य महत्व को कम करने का प्रयास स्थापित मिसाल के विपरीत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. यह निवेदन किया जाता है कि मात्र चार महीने की कैद को लंबी अभिरक्षा नहीं माना जा सकता है, जिसके आधार पर पीएमएलए के तहत गंभीर आर्थिक अपराध में जमानत दी जा सके।सर्वोच्च न्यायालय ने **उदय सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 357** मामले में यह यह अभिनिर्धारित किया है कि अभिरक्षा की इतनी कम अवधि अपने आप में जमानत देने का औचित्य नहीं है, विशेषकर तब जब आरोप गंभीर आर्थिक अपराधों को उजागर करते हों।

42. संक्षेप में, धारा 45 का कोई भी भाग पूरा नहीं होता है।इस न्यायालय को धारा 45 के दोहरे परीक्षणों को "बारीकी से" लागू करना होगा।इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईडी को जमानत का विरोध करने का अवसर मिला था और वास्तव में उसने जमानत का विरोध किया भी है।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय को यह मानने के लिए "उचित आधार" नहीं मिल सकते है कि आरोपी दोषी नहीं है – बल्कि इसके विपरीत, प्रथम दृष्टया साक्ष्य संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।इसी प्रकार, जमानत पर रहते हुए आरोपी द्वारा अपराध (जैसे गवाहों को धमकाना) करने का वास्तविक जोखिम है।इसके विपरीत साबित करने का भार आवेदक पर था, जिसे वह पूरा नहीं कर पाया है।

43. इसमें तर्क दिया गया है कि आवेदक ने छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम में महत्वपूर्ण नियुक्तियों को "प्रायोजित" किया और कमीशन–संग्रह योजनाओं की देखरेख की, जिससे वह एक मामूली षड्यंत्रकारी के

बजाय सरगना बन गया।धन शोधन एक साधारण अपराध नहीं बल्कि एक गंभीर आर्थिक अपराध है जिसके राष्ट्र की वित्तीय अखंडता पर गंभीर परिणाम होते हैं।उन्होंने आगे यह भी कहा कि आवेदक कोई मामूली भागीदार नहीं था, बल्कि वह गिरोह का शीर्ष व्यक्ति था, जो अवैध धन के प्रवाह और उपयोग पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखता था।

44. उन्होंने आगे तर्क दिया कि कथित अपराध की गंभीरता और प्रभावी अन्वेषण की अनिवार्यता आवेदक को जमानत पर रिहा करने के खिलाफ निर्णायक कारक हैं।इस पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग असाधारण है; पीएमएलए के तहत अपराध "गंभीर" अपराध हैं।ऐसे मामलों में जमानत देना विधायी आशय के विपरीत है।इसके अलावा, ईडी का दावा है कि गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने और धन की वसूली के लिए आवेदक को हिरासत में रखना आवश्यक है।वास्तव में, प्रक्रियात्मक इतिहास भी सावधानी बरतने का संकेत देता है:सह–आरोपी की जमानत याचिका भी 20.06.2025 को खारिज कर दी गई थी और लगभग समान रिकॉर्ड से यह पुष्टि होती है कि यहां भी जमानत न देना ही उचित है।

45. इन परिस्थितियों में, न्यायसंगतता रिहाई के पक्ष में नहीं है।आवेदक 18.07.2025 से हिरासत में है, लेकिन केवल लंबी अभिरक्षा ही वैधानिक आदेश का उल्लंघन नहीं करती है।सर्वोच्च न्यायालय ने विजय मदनलाल चौधरी मामले में चेतावनी दी थी कि विलंब की चिंताओं को धारा 45 के कड़े प्रावधानों से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।अपराध की गंभीरता और जोखिम कारकों को इस न्यायालय का मार्गदर्शन करना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

46.उत्तरवादी /ईडी के विद्वान अधिवक्ता श्री हुसैन ने प्रस्तुत किया किमनीष सिसोदिया और अनिल टुटेजा जैसे निर्णय असाधारण तथ्यात्मक परिस्थितियों में दिए गए थे और इन्हें सर्वव्यापी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है।यह तर्क दिया जाता है कि वे मामले असाधारण देरी और विशिष्ट प्रक्रियात्मक कारकों पर आधारित थे, जबकि वर्तमान प्रकरण में, अन्वेषण जारी है और आवेदक से अभिरक्षा में जांच अभी भी आवश्यक है।वे आगे कहते हैं कि पीएमएलए (प्रवेश कानून अधिनियम) जटिल वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए एक निवारक ढांचा तैयार करने के विधायी आशय को दर्शाता है।यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह के मामलों में जमानत देना जनता के विश्वास को कम करेगा और अधिनियम के वैधानिक उद्देश्य को कमजोर करेगा।

47. उत्तरवादी–ईडी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का यह तर्क कि 19.06.2024 को पहली अभियोजन परिवाद दर्ज करने के बाद की गई आगे की जांच विशेष न्यायालय की अनुमति के अभाव में अस्वीकार्य है, स्थापित विधि के विपरीत है और इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए।यह निवेदन किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पीएमएलए की धारा 44 के स्पष्टीकरण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आगे की अन्वेषण अधिकृत एजेंसी की एक वैधानिक और निरंतर शक्ति है और यह स्पष्टीकरण एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धन

शोधन के किसी भी अपराधी को केवल इसलिए अभियोजन से छूट न मिले क्योंकि उसके खिलाफ पहले ही परिवाद दर्ज की जा चुकी है।

48. विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) 10 एससीसी 386 में सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक रूप से यह अभिनिर्धारित किया किः

धारा 44 की व्याख्या प्राधिकरण को संज्ञान लेने के बाद भी आगे की जांच के संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख की लाने की अनुमति देती है और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अधिकृत प्राधिकरण के लिए परीक्षण के दौरान न्यायालय की अनुमति लेना हमेशा खुला रहता है।"

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि अधिकृत प्राधिकारी या तो मुकदमे के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांग सकता है; या पहले आरोपित न किए गए व्यक्ति के विरुद्ध नई शिकायत दर्ज कर सकता है; या न्यायालय से ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सीआरपीसी कि धारा 319 (अब बीएनएसएस के अंतर्गत संबंधित प्रावधान) के तहत कार्यवाही करने का अनुरोध कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49. उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि विचारण केवल आरोप निर्धारित होने के बाद ही शुरू होता है, उससे पहले नहीं।वर्तमान प्रकरण में, यह स्वीकार किया गया है कि अभी तक आरोप निर्धारित नहीं किए गए हैं और इसलिए विचारण शुरू नहीं हुआ है।परिणामतः,यह प्रस्तुत करना कि वर्तमान चरण में विशेष न्यायालय की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, विधिक रूप से मान्य नहीं है।अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी आगे की अन्वेषण की वैधानिक मान्यता सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत सुस्थापित है, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार व्याख्या की गई है।**आंध्र प्रदेश राज्य बनाम ए.एस.पीटर (2008) 2 एससीसी 383** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया हैः इसमें कोई संदेह नहीं कि विधि आगे की अन्वेषण हेतु मजिस्ट्रेट से पूर्व स्वीकृति लेने को अनिवार्य नहीं बनाता है।आरोपपत्र दाखिल करने के बाद भी आगे की अन्वेषण करना पुलिस का वैधानिक अधिकार है।"

50. आगे की अन्वेषण तथा पुनः अन्वेषण मध्य का विवेकाधिकार समान रूप से निर्धारित है।जबकि न्यायालय की स्वीकृति के बिना पुनः अन्वेषण अस्वीकार्य है, जबकि आगे की अन्वेषण विधि द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकृत है। विनय त्यागी बनाम इरशाद अली (2013) 5 एससीसी 762 में इस स्थिति की पुनः पुष्टि की गई, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 173(8) सीआर.पी.सी. के तहत आगे की अन्वेषण पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी अनुमेय है और उससे उत्पन्न रिपोर्ट को पूरक रिपोर्ट कहा जाता है।51. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया कि संज्ञान लेने से आगे की जांच पर रोक नहीं लगती है।**तमिलनाडु राज्य बनाम हेमेंद्र रेड्डी (2023) 16 एससीसी 779** में,सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि न्यायालय के विशिष्ट निर्देश के बिना भी, धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत आगे की अन्वेषण अनुमेय है। **विनूभाई हरिभाई मालवीय बनाम गुजरात राज्य (2019) 17 एससीसी 1** में तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय ने यह कहकर विधि को निर्णायक रूप से स्थापित किया है कि:

• मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के बाद भी आगे की अन्वेषण जारी रह सकती है;

• अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने वाले आदेश को वापस लेने या उसकी समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है; और

• आगे की अन्वेषण केवल पिछली अन्वेषण का ही विस्तार है और इस पर दोहरे दंड का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

52. आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक का यह तर्क कि आगे की अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी की जा सकती है, पूरी तरह से विधिक आधारहीन है।पीएमएलए स्पष्ट रूप से ईडी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है जिसे मूल परिवाद में आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है, यदि पीएमएलए की धारा 19 की शर्तें पूरी होती हैं।सर्वोच्च न्यायालय ने **तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 971** मामले में यह स्वीकार किया है कि:

• आपातकालीन विभाग परिवाद में पहले से आरोपी के रूप में नामित न किए गए व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकता है; और

• ऐसी गिरफ्तारी के लिए विचारण न्यायालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

53. ईडी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने गिरफ्तारी को विधिक रूप से आवश्यक और पीएमएलए की धारा 19 के पूर्ण अनुपालन के रूप में उचित ठहराया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई प्रचुर सामग्री पर आधारित है, जिसमें अधिनियम की धारा 50 के तहत दर्ज बयान, डिजिटल साक्ष्य, बैंक लेनदेन और फोरेंसिक विश्लेषण शामिल हैं, जो प्रथम दृष्टया आवेदक की धन शोधन के अपराध में संलिप्तता को स्थापित करते हैं।

54. यह तर्क दिया जाता है कि गिरफ्तारी के आधार आवेदक को लिखित रूप में विधिवत सूचित किए गए थे, जिससे वैधानिक आदेश का पालन हुआ।ईडी का दावा है कि "विश्वास करने का कारण" बनने की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होती है, न कि मात्र संदेह और अटकलों पर।वित्तीय लेन–देन के जटिल जाल को सुलझाने, अपराध से प्राप्त धन का पता लगाने, अन्य षड्यंत्रकर्ता की भूमिका की पहचान करने तथा साक्ष्य को नष्ट होने या छिपाने से रोकने के लिए अभिरक्षा में पूछताछ आवश्यक थी।अपराध की गंभीरता और व्यापकता, जिसमें अपराध से प्राप्त धन की बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है, गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराती है।

55. यह तर्क दिया जाता है कि गिरफ्तारी से पहले धारा 50 के तहत समन जारी न करना गिरफ्तारी को अमान्य नहीं करता है, समन जारी करना धारा 19 लागू करने के लिए अनिवार्य पूर्व शर्त नहीं है।यह निवेदन किया जाता है कि यदि आवेदक को इस स्तर पर जमानत पर रिहा किया जाता है तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और साक्षीयों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, और इसलिए, गिरफ्तारी न

तो मनमानी है और न ही दंडात्मक, बल्कि पीएमएलए के तहत प्रभावी अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए वैधानिक शक्ति का एक वैध प्रयोग है।

56. प्रवर्तन निदेशालय ने ईसीआईआर/आरपीजेडओ/04/2024 के संबंध में दायर अपनी अभियोजन परिवाद और पूरक परिवाद में आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2019–2023 की अवधि के दौरान एक संगठित शराब सिंडिकेट सक्रिय था।हालांकि, अभिलेख में रखे गए दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि वर्तमान आवेदक को सौंपी गई भूमिका काफी हद तक अनुमानित और व्युत्पन्न प्रकृति की है, न कि किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य पर आधारित है जिसे सीधे तौर पर उससे जोड़ा जा सके।

57. सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णयों से स्थापित विधिक स्थिति को देखते हुए, ईडी को आगे की अन्वेषण करने का विधिक अधिकार है; विचारण की शुरुआत से पहले विशेष न्यायालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है; आगे की अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी वैध है; धारा 50 के तहत दिए गए बयान जमानत के चरण में स्वीकार्य और सुसंगत हैं और थोड़े समय के लिए कारावास से पीएमएलए की धारा 45 की कठोरता कम नहीं होती है।अतः आवेदक द्वारा इन आधारों पर उठाई गई आपत्तियां भ्रामक, विधिक रूप से निराधार और खारिज किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निष्कर्ष तथा परिणाम :

58. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्क पर गहन विचार करने, मामले की डायरी, अभियोजन पक्ष की परिवाद, गिरफ्तारी के आधारों, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत पूरक सामग्रियों का अध्ययन करने और सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी पूर्व निर्णयों के आलोक में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के वैधानिक ढांचे की जांच करने के बाद, यह न्यायालय धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपित अपराध की गंभीरता और संवेदनशीलता से अवगत है।यह उल्लेखनीय है कि आवेदक का नाम न तो ईसीआईआर में और न ही मूल अपराध के संबंध में एफआईआर में दर्ज किया गया है, जो इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के बयान की कमजोरी को रेखांकित करता है।साथ ही, यह भी सर्वविदित है कि जमानत देने या अस्वीकार करने के संबंध में विचार–विमर्श आपराधिक न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के आधार पर किया जाना चाहिए।

59. यह न्यायालय दोहराता है कि जमानत आवेदन पर विचार करते समय, क्षेत्राधिकार का प्रयोग न तो दंडात्मक है और न ही अपराध का निर्धारण करता है।न्यायालय को यह आकलन करना होगा कि आरोपों की प्रकृति, एकत्रित साक्ष्य, आरोपित भूमिका और विचारण के उचित समय के भीतर समाप्त होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को निरंतर कारावास में रखना आवश्यक, उचित और संवैधानिक रूप से अनुमेय है या नहीं।अभिवेदनों और अभिलेख में प्रस्तुत साक्ष्यों के संयुक्त अध्ययन से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:

I. पीएमएलए के तहत जमानत पर विचार करने के लिए न्यायिक सिद्धांत :

60. इस न्यायालय ने वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करने से पहले, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जमानत देने के लिए निर्धारित मापदंडों को दोहराना उचित समझा है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून में कड़े प्रावधान शामिल हैं; हालाँकि, विधिक व्यवस्था की कठोरता को संवैधानिक सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने का लाइसेंस नहीं माना जा सकता है।सर्वोच्च न्यायालय **ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022) 10 एससीसी 51** में यह अभिनिर्धारित किया है कि विशेष विधि से जुड़े मामलों में भी, स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी को पूरा करना आवश्यक है और गिरफ्तारी और कारावास को सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं अपनाया जा सकता है।

61. इसी प्रकार, **संजय चंद्र बनाम सीबीआई (2012) 1 एससीसी 40** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जमानत का उद्देश्य विचारण में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, न कि दोषसिद्धि से पहले दंड देना। **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2024) 2 एससीसी 349** में,लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि जमानत के चरण में क्षेत्राधिकार आवश्यकता, आनुपातिकता और निष्पक्षता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, न कि दंडात्मक विचारों द्वारा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

II. पी. एम. एल. ए. की धारा 50 के तहत समन जारी न करने पर निष्कर्ष:

62.अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि आवेदक को उसकी गिरफ्तारी से पहले पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने के उद्देश्य से कोई समन तामील नहीं कराया गया था।दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया गया है कि कार्यवाही के किसी भी चरण में याचिकाकर्ता को पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के उद्देश्य से कोई नोटिस या समन नहीं दिया गया था।यह तर्क दिया गया है कि इस चूक से अधिनियम के तहत परिकल्पित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का मूल ही उल्लंघन होता है और परिणामस्वरूप, गिरफ्तारी सहित बाद की कार्यवाही अमान्य हो जाती है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सीआर.एम.पी. संख्या 2506/2025 दिनांक 17.10.2025 को पारित आदेश में स्पष्ट रूप से समझाया गया है, विशेष रूप से इसके कंडिका 77 और 78 में,पीएमएलए की धारा 50 के तहत नोटिस जारी करने का उद्देश्य दो गुना है।प्रथम, यह संबंधित व्यक्ति को चल रही जांच की प्रकृति और दायरे से अवगत कराता है, और द्वितीय, यह ऐसे व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष तथ्यों का अपना पक्ष रखने या सुसंगत सामग्री प्रस्तुत करने का सार्थक अवसर प्रदान करता है।इस प्रकार का नोटिस जारी न करने से व्यक्ति को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई शुरू होने से पहले सुनवाई का और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बहुमूल्य अधिकार से वंचित किया जाता है।

63. इस न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि जिन मामलों में विधि हर स्थिति में नोटिस जारी करने का स्पष्ट रूप से आदेश नहीं देता है, फिर भी निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्राधिकरण को ऐसे अवसर से वंचित किए जाने पर ठोस कारण दर्ज करने की आवश्यकता होगी।किसी अन्वेषण एजेंसी को दिया

गया विवेकाधिकार असीमित नहीं है; इसके साथ ही यह दायित्व भी आता है कि वह विवेकपूर्ण, तर्कसंगत और विधायी आशय तथा संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करे।

64. यद्यपि यह सही है कि धारा 50 के तहत समन जारी करना, पूर्णतः, पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी के लिए एक वैधानिक पूर्व शर्त नहीं है, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि धारा 50 में एक ठोस प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल है, जिसे गिरफ्तारी जैसे कठोर उपाय को लागू करने से पहले पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वैच्छिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।सर्वोच्च न्यायालय ने **विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ (2023) 12 एससीसी 1** में पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिनियम के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को खोखली औपचारिकता तक सीमित नहीं किया जा सकता है और उन्हें सार रूप में लागू होना चाहिए।गिरफ्तारी से पहले धारा 50 को लागू न करने की पूर्ण चूक, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में देखने पर, जमानत के चरण में सुसंगत हो जाती है, हालांकि यह अपने आप में गिरफ्तारी को अमान्य नहीं कर सकती है।

65. प्रारंभ में, यह दोहराना आवश्यक है कि पीएमएलए के तहत जमानत संबंधी न्यायशास्त्र, हालांकि निस्संदेह कठोर है, इसका उद्देश्य संवैधानिक गारंटियों को निरस्त करना नहीं है,और न ही कारावास को स्वतः वैध ठहराना।पीएमएलए की धारा 45 की कठोरता, चाहे कितनी भी कठोरता क्यों न हो, संवैधानिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करती है, जहां निरंतर अभिरक्षा असंगत, दंडात्मक या अन्यायपूर्ण हो जाती है। पीएमएलए की धारा 45 के तहत परिकल्पित संतुष्टि प्रथम दृष्टया प्रकृति की है, न कि दोष का निर्धारण।**विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (20220 10 एससीसी 386)** मामले में संविधान पीठ द्वारा विधिक स्थिति निर्णायक रूप से स्थापित की गई है, जिसमेंयह अभिनिर्धारित किया गया था कि जमानत के चरण में न्यायालय को केवल यह आकलन करना होता है कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि आरोपी के दोषी होने की संभावना नहीं है, न कि लघु–विचारण के लिए व्यापक जांच करना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

66. पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति निस्संदेह एक कठोर शक्ति है, और इसका प्रयोग वैधानिक सुरक्षा उपायों और संवैधानिक सीमाओं के कड़ाई से पालन पर निर्भर है।"विश्वास करने का कारण" अभिव्यक्ति कोई मंत्र नहीं है जिसे यंत्रवत दोहराया जाए, बल्कि यह एक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मात्र संदेह के आधार पर बलिदान न किया जाए।

III. गिरफ्तारी के आधार तथा अभिरक्षा कारावास की आवश्यकता पर निष्कर्ष**:**

67. आवेदक को प्रस्तुत गिरफ्तारी के आधार मुख्य रूप से कथित अपराध की गंभीरता और अपराध की आय को धन–वसूली में आवेदक की संलिप्तता पर आधारित हैं।सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन के बावजूद पेश न होना, अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी का वैध आधार नहीं बनता है। हालांकि,आरोपों की गंभीरता, चाहे वे कितने भी गंभीर क्यों न हों, अकेले ही विचारण से पहले निरंतर कारावास को उचित नहीं ठहरा सकती है।सर्वोच्च न्यायालय ने **पंकज बंसल**

बनाम भारत संघ (2023) 7 एससीसी 1 और हाल ही में सेंथिल बालाजी बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2626 में यह अभिनिर्धारित किया है कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी स्पष्ट आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए, न कि गंभीरता या संदेह के सामान्य दावों पर।

68. वर्तमान प्रकरण में, अन्वेषण मुख्य रूप से दस्तावेजी और डिजिटल प्रकृति की है।बयान दर्ज किए जा चुके हैं, सामग्री जब्त कर ली गई है और उत्तरवादी यह साबित करने में विफल रहा है कि आवेदक से निरंतर अभिरक्षा में पूछताछ करने के लिए कोई विशिष्ट जांच संबंधी आवश्यकता है।दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया गया है कि आवेदक के विरुद्ध की गई हिरासत कार्रवाई अनुचित और अनुपातहीन थी, क्योंकि ऐसी दंडात्मक कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए न तो कोई आवश्यकता थी और न ही कोई अत्यावश्यकता। यह अभिलेख में दर्ज है कि आवेदक को पीएमएलए की धारा 50 के तहत कभी भी समन नहीं भेजा गया था और न ही उसे गिरफ्तारी से पहले कथित अपराध के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।परिणामस्वरूप, गिरफ्तारी के आधारों में उल्लिखित असहयोग का आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

69. इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि गिरफ्तारी के आधारों में असहयोग का उल्लेख है, फिर भी गिरफ्तारी केवल इसी आधार पर नहीं की गई थी, बल्कि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अन्य आधारों पर इसे उचित ठहराने का प्रयास किया गया था।फिर भी, केवल असहयोग का गलत उल्लेख मात्र गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराएगा, हालांकि यह प्रक्रियात्मक चूक हो सकती है जो अनियमितता की श्रेणी में आती है, न कि अवैधता की।जैसा कि दावा किया गया है, गिरफ्तारी अंततः अन्वेषण अधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित थी, जो कथित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के पास पहले से उपलब्ध सामग्री के आधार पर बनाई गई थी।

70. यह भी तर्क दिया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई आगे की अन्वेषण सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना की गई थी।याचिकाकर्ता को लगभग चार महीने बाद अभिरक्षा में लिया गया, जबकि इस दौरान कोई भी नया आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला था।ऐसी परिस्थितियों में जहां याचिकाकर्ता की कथित संलिप्तता पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी, बाद में की गई यह गिरफ्तारी, जो विलंबित और अस्पष्ट है, विधिक रूप से अस्वीकार्य मानी जाती है।यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 से 204 के अंतर्गत कार्यवाही पीएमएलए के अंतर्गत आती है, न कि धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, फिर भी गिरफ्तारी में विलंब और आगे की जांच के लिए पूर्व न्यायिक स्वीकृति का अभाव, निरंतर हिरासत में रखने की आवश्यकता और औचित्य का आकलन करते समय प्रासंगिक विचारणीय बिंदु बने रहते हैं।

71. इस संबंध में, ईडी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन परिवाद दर्ज करने के बाद भी, पीएमएलए के तहत आगे की जांच करने का वैधानिक अधिकार उसके पास बना रहता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी शक्ति असीमित नहीं है और इसका प्रयोग न्यायिक निगरानी और

अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक सुरक्षा उपायों के अधीन ही किया जाना चाहिए। **विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2023)** मामले में, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जांच शक्तियां, जिनमें आरोप पत्र दाखिल करने के बाद प्रयोग की जाने वाली शक्तियां भी शामिल हैं, ठोस सबूतों के आधार पर और विधि की सीमाओं के भीतर ही प्रयोग की जानी चाहिए।यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

"263. स्पष्टीकरण के खंड (i) में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत विचाराधीन अपराध से निराकरण समय विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुसूचित अपराध के संबंध में पारित किसी भी आदेश पर निर्भर नहीं होगा, और एक ही न्यायालय द्वारा दोनों प्रकार के अपराधों का विचारण संयुक्त विचारण नहीं माना जाएगा।यह वास्तव में उसी खंड के पूर्ववर्ती भाग की पुनरावृत्ति है, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि भले ही दोनों मुकदमे एक ही विशेष न्यायालय के समक्ष चलें, संहिता के प्रावधानों के अनुसार उनकी सुनवाई अलग–अलग होनी चाहिए।स्पष्टीकरण के खंड (ii) के संदर्भ में, पहली दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि इसका खंड के पूर्ववर्ती भाग से कोई संबंध नहीं है।हालांकि, इस प्रावधान की गहन जांच करने पर यह पाया गया कि यह केवल एक सक्षम प्रावधान है जो धन शोधन के अपराध में शामिल किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आगे की जांच से संबंधित सामग्री को अभिलेख में लेने की अनुमति देता है, चाहे शिकायत में उसका नाम हो या न हो। वास्तव में, ऐसा प्रावधान एक व्यापक प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि धन शोधन के अपराध में शामिल कोई भी व्यक्ति बिना दंड के न बचे।न्यायालय द्वारा पहले से संज्ञान लिए जा चुके मामले की विचारण के दौरान, अधिकृत प्राधिकारी को न्यायालय से अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने का हमेशा अधिकार होता है, और इस अनुरोध पर विशेष न्यायालय द्वारा 1973 संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।यह भी संभव है कि अधिकृत प्राधिकरण उस व्यक्ति के खिलाफ नई शिकायत दर्ज करे जिसका नाम धन शोधन के उसी अपराध के संबंध में पहले से दर्ज परिवाद में आरोपी के रूप में नहीं लिया गया है, जिसमें न्यायालय से यह अनुरोध करना भी शामिल है कि वह ऐसे अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करे जो 1973 संहिता की धारा 319 के तहत अपराध का दोषी प्रतीत होता है, जो अन्यथा ऐसे विचारण पर लागू होगा।"

72. इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी आगे की अन्वेषण का प्राथमिक उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना और न्याय सुनिश्चित करना है।पीएमएलए के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन परिवाद दर्ज होने के बाद भी ईडी के पास आगे की जांच करने का वैधानिक अधिकार बना रहता है।यह अधिकार विधि में निहित सुरक्षा उपायों के अधीन है और इसका प्रयोग निष्पक्षता और तर्कसंगतता के सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए।

73. गिरफ्तारी के कारणों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि आवेदक की गिरफ्तारी मुख्य रूप से अन्वेषण के दौरान पहले से एकत्रित सामग्री पर आधारित है, जिसमें अधिनियम की धारा 50 के तहत दर्ज बयान और दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं।ऐसी कोई विशिष्ट परिस्थिति नहीं बताई गई है जिसके कारण उस समय आवेदक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की तत्काल गिरफ्तारी आवश्यक हो, और न ही यह सिद्ध किया गया है कि ऐसी सामग्री प्राप्त होने के बाद अभिरक्षा में पूछताछ अपरिहार्य थी।

74. न्यायालय इस बात से अवगत है कि गिरफ्तारी का उद्देश्य दंडात्मक नहीं है, और न ही इसे केवल इसलिए अपनाया जा सकता है क्योंकि विधि ऐसा करने का अधिकार प्रदान करता है।गिरफ्तारी का उद्देश्य अन्वेषण में सहायता करना, न्याय से बचने से रोकना या आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।जहां इन उद्देश्यों को कारावास के बिना प्राप्त किया जा सकता है, वहां निरंतर अभिरक्षा अनुचित हो जाती है।यद्यपि जमानत के चरण में उचित कार्यवाही के दौरान गिरफ्तारी की वैधता की जांच की जा सकती है, इस न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह आकलन करे कि क्या निरंतर अभिरक्षा उचित है।वर्तमान प्रकरण में,अन्वेषण मुख्य रूप से दस्तावेजी प्रकृति की है, उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री पहले से ही अभिलेख में है और विचारण अभी शुरू होना बाकी है।

75. इसी प्रकार, **पंकज बंसल बनाम भारत संघ (2023)** मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आगे की अन्वेषण इस प्रकार नहीं की जा सकती है जिससे अभियुक्त के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो या प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हो, जिसमें अनिवार्य होने पर पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी शामिल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

76. उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण एक परिवाद का प्रकरण है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 44 (1) (घ) धन शोधन से संबंधित मामलों में ईडी को नए साक्ष्य उपलब्ध होने पर पूरक परिवाद दर्ज करने की अनुमति देती है, परंतु दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 के साथ धारा 200 से 204 के अंतर्गत पीएमएलए की धारा 44 के तहत परिवाद दर्ज करने की निर्धारित प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट से भिन्न है। धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने का प्रावधान है।इसके बाद, सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 201 से 204 के अनुसार जांच की जाती है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 और 208 के अंतर्गत अभियुक्तों को दस्तावेज, बयान और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने का प्रावधान है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भूपेश कुमार बघेल बनाम भारत संघ और अन्य {रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 301/2025, दिनांक 11/08/2025 को निर्णय लिया}** मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया : ––

2. यह अभिलेख में दर्ज है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 44(1) की व्याख्या के संबंध में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2023) 12 एससीसी 1 के कंडिका 263 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः

263. स्पष्टीकरण के खंड (i) में यह स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन अपराध से निराकरण करते समय विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुसूचित अपराध के संबंध में पारित किसी भी आदेश पर निर्भर नहीं होगा, और एक ही न्यायालय द्वारा दोनों प्रकार के अपराधों का विचारण संयुक्त विचारण नहीं

माना जाएगा।वास्तव में, यह उसी धारा के पूर्ववर्ती भाग का पुनरावलोकन है, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि भले ही दोनों विचारण एक ही विशेष न्यायालय के समक्ष चलें, 1973 संहिता के प्रावधानों के अनुसार उनका अलग–अलग विचारण किया जाना चाहिए।स्पष्टीकरण के खंड (ii) के संबंध में, प्रथम दृष्टि में ऐसा आभास होता है कि यह खंड के पूर्ववर्ती भाग से असंबद्ध है।हालांकि, इस प्रावधान की गहन अन्वेषण करने पर यह पाया गया कि यह केवल एक सक्षम प्रावधान है जो धन शोधन के अपराध में शामिल किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आगे की जांच से संबंधित सामग्री को अभिलेख में लेने की अनुमति देता है, चाहे उसका नाम परिवाद में हो या न हो।वास्तव में, ऐसा प्रावधान एक व्यापक प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि धन शोधन के अपराध में शामिल कोई भी व्यक्ति बिना दंड के न बचे।जिस परिवाद के संबंध में न्यायालय द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है, उसके विचारण की सुनवाई के दौरान न्यायालय से अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी को हमेशा यह अधिकार होता है कि वह इस अनुरोध पर विशेष न्यायालय द्वारा 1973 संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार कार्यवाही करे।धन शोधन के उसी अपराध के संबंध में पहले से दायर शिकायत में आरोपी के रूप में नामित नहीं किए गए व्यक्ति के खिलाफ नई परिवाद दर्ज करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी के पास यह विकल्प भी खुला है कि वह न्यायालय से ऐसे अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का अनुरोध करे जो 1973 संहिता की धारा 319 के तहत अपराध का दोषी प्रतीत होता है, जो अन्यथा ऐसे विचारण पर लागू होती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के तर्क को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः

(I) प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी विचारण के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं;

(ii) अतिरिक्त साक्ष्य न्यायालय की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जा सकते हैं; और

(iii) प्रवर्तन निदेशालय या तो नई परिवाद दर्ज कर सकता है या न्यायालय धारा 319 सीआर.पी.सी. (जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत एक नए प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है) के तहत ऐसे अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

77. यह ध्यान देने योग्य है कि रियापुर के विद्वान विशेष न्यायाधीश ने ईओडब्ल्यू मामले से संबंधित कार्यवाही में श्री लक्ष्मी नारायण बंसल के खिलाफ गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी किया है, जिनका नाम ईसीआईआर में भी आरोपी के रूप में दर्ज है और वे फरार बताए जा रहे हैं।इस प्रकार के स्थायी वारंट के बावजूद, अन्वेषण अधिकारी या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

78. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अभिलेख पर यह बात रखी है कि रिमांड कार्यवाही के दौरान और प्रवर्तन निदेशालय की उपस्थिति में, न्यायालय के संज्ञान में विशेष रूप से यह लाया गया था कि श्री लक्ष्मी नारायण बंसल के विरुद्ध अनिश्चितकालीन गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।आश्चर्यजनक रूप से, इस संबंध में पूछे जाने पर, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उनकी जानकारी के अनुसार,

प्रवर्तन निदेशालय को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी।इस तरह की स्वीकारोक्ति प्रथम दृष्टया अन्वेषण में एक गंभीर चूक को दर्शाती है और इस परिवाद को बल देती है कि अन्वेषण एजेंसी द्वारा चयनात्मक या 'चुनिंदा' दृष्टिकोण अपनाया गया हो सकता है।"

79. श्री लक्ष्मी नारायण बंसल के संबंध में, यद्यपि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उनके विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है, फिर भी सह–आरोपी की गिरफ्तारी मात्र से वर्तमान आवेदक के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही में दुर्भावना या अवैधता सिद्ध नहीं होती।अधिकतम, ऐसी परिस्थिति अनियमितता की श्रेणी में आ सकती है; यद्यपि इस प्रकार की अनियमितता स्वतः ही पूरी कार्यवाही को अमान्य नहीं कर देती है

80. इसके अलावा, सीआर.पी.सी. की धारा 70 और बीएनएसएस 2023 की धारा 72 के तहत, कानून वारंट का प्रारूप और गिरफ्तारी की अवधि निर्धारित करता है, जिससे न्यायिक वारंट जारी होने पर चयनात्मक या विवेकाधीन गैर–अनुपालन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है।बी. एन. एस. एस. अधिनियम की धारा 72 (2) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या इसे निष्पादित नहीं कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है।यह प्रावधानयह सुनिश्चित करता है कि वारंट अनिश्चित काल तक वैध रहेगा जब तक कि इन दो घटनाओं में से कोई एक घटित न हो जाए।" अभिलेख से यह पता चलता है कि ई.ओ.डब्ल्यू./शराब घोटाला मामले में सक्षम विशेष न्यायालय ने श्री लक्ष्मी नारायण बंसल को फरार घोषित कर दिया है और तदनुसार 19.05.2025 को उनके खिलाफ गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी किया था, जिसे न तो निष्पादित किया गया है और न ही रद्द किया गया है।

81. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि एफआईआर संख्या 04/2024 के संबंध में श्री बंसल के विरुद्ध अनिश्चितकालीन गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आश्चर्यजनक रूप से, उत्तरवादी /अन्वेषण एजेंसी ने रायपुर स्थित संबंधित ईओडब्ल्यू से इस महत्वपूर्ण तथ्य का सत्यापन नहीं किया।

82. इसके अलावा, विशेष न्यायाधीश के समक्ष रिमांड कार्यवाही में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद कि उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, उत्तरवादी ने श्री बंसल का बयान दो अवसरों पर यानी 26.07.2025 और 10.09.2025 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किया, फिर भी उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रहा।यह सर्वविदित है कि एक अन्वेषण एजेंसी न्यायिक आदेश को रद्द करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है, गिरफ्तारी के स्थायी वारंट की उपस्थिति चयनात्मक कार्यवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है।बहस के दौरान,ईडी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि दर्ज किए गए बयानों के बावजूद श्री बंसल को गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें बिना किसी बाधा के जाने दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

83. प्रथम दृष्टया अभियोजन पक्ष का आचरण स्पष्ट रूप से असंगत और चयनात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है, जो कभी नरम तो कभी कठोर रहा है और उसने अन्वेषण में मनमानी की है।यद्यपि प्रक्रियात्मक चूकें स्पष्ट हैं, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी अनियमितताएं, यद्यपि खेदजनक हैं, स्वतः ही अवैधता नहीं हैं, और अनियमितता और अवैधता में अंतर स्पष्ट है।

चयनात्मक गिरफ्तारी और मनमानी गिरफ्तारी पर निष्कर्ष :

84. प्रथम दृष्टया अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि कुछ व्यक्तियों, जिनमें कथित लाभार्थी भी शामिल हैं, पर गंभीर और प्रत्यक्ष भूमिका निभाने का आरोप है, लेकिन ईसीआईआर में नाम होने और पूर्ववर्ती कार्यवाही में वारंट जारी होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।आवेदक के विरुद्ध दंडात्मक शक्तियों का चयनात्मक प्रयोग, जबकि समान या अधिक गंभीर परिस्थितियों वाले व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्यरत हैं, कानून के असमान अनुप्रयोग के संबंध में एक वैध चिंता का विषय है।दिल्ली उच्च न्यायालय ने विपिन यादव बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में (2025 एससीसी ऑनलाइन डेल 6237) यह स्वीकार किया है कि पीएमएलए के तहत जमानत पर निर्णय सुनाते समय चयनात्मक गिरफ्तारी एक सुसंगत विचारणीय विषय है, क्योंकि यह प्रक्रिया की निष्पक्षता से सीधे तौर पर संबंधित है।इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक ने गिरफ्तारी शक्तियों के भेदभावपूर्ण प्रयोग का प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध कर दिया है, जिसे इस स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।वास्तव में, अन्वेषण प्राधिकरण ने जानबूझकर उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने से परहेज करके "चुनने–चुनने" का दृष्टिकोण अपनाया है, जो अवैध धन के स्रोत से पूरी तरह अवगत थे, जिन्होंने अवैध खातों की व्यवस्था करके धन शोधन प्रक्रिया को सक्रिय रूप से सुगम बनाया तथा अभिकथित षड़यंत्र के हर चरण में एक केंद्रीय और व्यापक भूमिका निभाई।इतने गंभीर और मूलभूत आरोपों के बावजूद, उन व्यक्तियों को अभिरक्षा में नहीं लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

85. अतः यह तर्क दिया जाता है कि सह–आरोपी की गिरफ्तारी न होने के बावजूद, जिसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण और दोषी प्रतीत होती है, आवेदक को जमानत देने से इनकार करना, गिरफ्तारी की दंडात्मक शक्तियों का भेदभावपूर्ण प्रयोग होगा और ऐसी शक्ति का प्रयोग मनमाना और अन्यायपूर्ण होगा।

V. सह–अभियुक्त के साथ समानता पर निष्कर्ष:

86. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर और अरविंद सिंह सहित कई सह–आरोपियों को, जो इस गिरोह के सरगना और प्रमुख षड्यंत्रकर्ता हैं और इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। वर्तमान आवेदक की भूमिका को सह–आरोपियों की तुलना में गंभीर या गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं दिखाया गया है।ऐसी परिस्थितियों में, जमानत से इनकार करना असमान व्यवहार का परिणाम होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने तरुण कुमार बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2023 एससीसी ऑनलाइन 1486 मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि समानता से तब तक इनकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि स्पष्ट और

ठोस अंतर साबित न हो जाए।इस न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि सीआर.एम.पी. संख्या 2506/2025 दिनांक 17.10.2025 में इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि समानता, यद्यपि पूर्ण नहीं है,को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जब समान परिस्थितियों वाले सह–आरोपी जमानत पर रिहा कर दिए जाते हैं और कोई भिन्न परिस्थिति नहीं दिखाई जाती है।

87. एक बार जब गिरफ्तारी के आधारों का आगे हिरासत में रखने की आवश्यकता से कोई ठोस और बाध्यकारी संबंध न रह जाए, तो निरंतर कारावास अनुच्छेद 21 के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन होगा। स्वतंत्रता, यद्यपि पूर्ण नहीं है, फिर भी काल्पनिक आशंकाओं के आधार पर इसे सीमित नहीं किया जा सकता है।

88. उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय पाता है कि आवेदक के विरुद्ध अभियोजन का मामला मुख्यतः दस्तावेज़–केंद्रित है, जो पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों, वित्तीय अभिलेखों, डिजिटल सामग्री और अनुमानित कड़ियों पर आधारित है।ऐसी सामग्री की स्वीकार्यता, विश्वसनीयता और साक्ष्य के रूप में उसका महत्व ऐसे प्रकरण हैं जिनका निर्णायक निर्णय विचारण के दौरान, पूर्ण जांच और प्रतिपरीक्षा के बाद ही किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

89. जहां तक अभिलेख पर रखी गई सामग्री की प्रकृति और साक्ष्य के रूप में उसके महत्व का संबंध है, इस न्यायालय को **सीबीआई बनाम वी.सी. शुक्ला** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय से मार्गदर्शन प्राप्त होता है।हालांकि उक्त निर्णय अन्वेषण पूरी होने के बाद रिहाई के चरण में लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि डायरी, नोटबुक, फाइल या ऐसे कागजों में दर्ज प्रविष्टियाँ, जिन्हें व्यवसाय के नियमित क्रम में "लेखा बही" के रूप में नहीं रखा जाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं। ऐसे कागज या पन्ने, भले ही जांच के दौरान बरामद किए गए हों, विधिक रूप से असंगत हैं और ठोस साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं।व्यवसाय या कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, नियमित रूप से रखी जाने वाली लेखा–पुस्तकों में दर्ज की गई प्रविष्टियों को ही विधि के तहत स्वीकार्य माना जा सकता है।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निम्नलिखित रूप में देखा गया है:

39. उपरोक्त निर्णयों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि लेखा–पुस्तकों में सही और प्रामाणिक प्रविष्टियाँ भी, उनकी विश्वसनीयता के स्वतंत्र प्रमाण के बिना, किसी व्यक्ति पर दायित्व निर्धारित नहीं कर सकतीं है।उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यदि हम यह मान भी लें कि एमआर 71/91 में की गई प्रविष्टियाँ सही हैं और अन्य पुस्तकों और अलग–अलग पन्नों में की गई प्रविष्टियाँ (जिन्हें हमने पहले ही धारा 34 के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं पाया है) अधिनियम की धारा 9 के तहत पूर्व प्रविष्टियों की सत्यता के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए स्वीकार्य हैं, तब भी वे प्रविष्टियाँ श्री आडवाणी और श्री शुक्ला पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी, क्योंकि उनके समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है।

इस संदर्भ में श्री अल्ताफ अहमद द्वारा उठाए गए तर्क पर चर्चा, गहन विचार–विमर्श या निर्णय की आवश्यकता नहीं है।यह कहना पर्याप्त होगा कि एमआर 71/91 में दर्ज भुगतानों की प्राप्ति स्वीकार करने वाले गवाहों के बयान केवल उन्हीं के संदर्भ में प्रविष्टियों की विश्वसनीयता का प्रमाण हो सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं।दूसरे शब्दों में, उपरोक्त साक्षीयों के बयान धारा 34 के तहत उपरोक्त दोनों उत्तरवादी के विरुद्ध स्वतंत्र साक्ष्य नहीं हो सकते है।श्री आडवाणी के प्रकरण में, धारा 34 अभियोजन पक्ष के पक्ष में एक और कारण से भी सहायक नहीं होगी।अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार ही उनका नाम केवल एक अलग पृष्ठ (पृष्ठ संख्या 8) में मिलता है, न कि एमआर 71/91 में।परिणामस्वरूप, हमारी पिछली चर्चा को देखते हुए, धारा 34 को उनके खिलाफ किसी भी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है।

xxxxxxxxxxxxxxx

41. उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, अब हम श्री अल्ताफ अहमद द्वारा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों और संलग्न शीटों को उपरोक्त धारा के तहत सुसंगत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाने के लिए दिए गए तर्कों पर विचार कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई और अभिलेख में दर्ज की गई सामग्री स्पष्ट रूप से लोक सेवकों को रिश्वत देकर अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए जैनियों के बीच एक सामान्य षड्यंत्र के अस्तित्व को स्थापित करती है।इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि सामग्रियों से यह भी पता चलता है कि सामान्य षड्यंत्र की योजना को पूरा करने के लिए, जैनियों और विभिन्न लोक सेवकों के बीच समान उद्देश्य से कई अलग–अलग षड्यंत्र रचे गए थे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

90. यद्यपि आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कुछ साक्ष्य, जैसे कि कागज़ात या कागज़ों की अस्वीकार्यता को सिद्ध करने के लिए उपरोक्त विधिक दृष्टांत का उल्लेख दिया है, फिर भी यह न्यायालय इस पर चर्चा नहीं कर रहा है क्योंकि यह पूरी तरह से योग्यता का प्रश्न है जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है।

91. महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदक के निजी कब्जे से अपराध की आय की कोई बरामदगी नहीं हुई है, और न हीइस स्तर पर यह साबित करने योग्य कोई आरोप है कि आवेदक ने कथित अपराध की आय का प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाया है।आवेदक को सौंपी गई भूमिका, हालांकि गंभीर है, काफी हद तक पर्यवेक्षी नियंत्रण और सांठगांठ के उन सभी आरोपों पर आधारित है जिन्हें अभी तक ठोस और निर्विवाद साक्ष्यों द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।

92. यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि इस प्रकरण में विचारण लंबा चलने की संभावना है,आरोपियों की संख्या, दस्तावेजी साक्ष्यों की मात्रा, वित्तीय लेन–देन की जटिलता और गवाहों की बहुलता को देखते हुए।ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक को निरंतर कारावास में रखने से निर्दोषता की धारणा खोखली प्रतिज्ञा में परिवर्तित हो जाएगी, जिससे निष्पक्षता के संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन होगा।

93. जैसा कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान अभियोजन एक ऐसा सटीक उदाहरण है जहां मुकदमे को उचित समय सीमा के भीतर पूरा करना संरचनात्मक रूप से असंभव है।

अभिलेख से पता चलता है कि **अकेले पीएमएलए के तहत कार्यवाही में ही 21 आरोपी, सैकड़ों साक्षी और हजारों पन्नों के सैकड़ों दस्तावेज़ शामिल थे।आज भी, ईडी स्वयं यह मानती है कि जांच अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाई है।**

94. प्रकरण की जटिलता इस तथ्य से और भी बढ़ जाती है किमूल अपराध में साक्ष्यों का दायरा और भी व्यापक है, जिसमें असाधारण मात्रा में सामग्री, कई आरोपी और साक्षी की एक विशाल श्रृंखला शामिल है। ऐसी परिस्थितियों में, यह उम्मीद करना पूरी तरह से अवास्तविक होगा कि अनुसूचित अपराध या पीएमएलए कार्यवाही का मुकदमा निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगा।यह सर्वविदित है कि पीएमएलए के तहत किसी विचारण को मूल अपराध के विचारण की समाप्ति से पहले तार्किक या कानूनी रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है।सर्वोच्च न्यायालय ने **वी. सेंथिल बालाजी बनाम राज्य (2024) 3** एससीसी 51 मामले में इस विधिक स्थिति की पुष्टि की है। इसका अपरिहार्य परिणाम यह है कि आवेदकों को निरंतर कारावास में रखना लंबी और अनिश्चितकालीन पूर्व–विचारण अभिरक्षा के समान होगा।

95. वर्तमान जैसे प्रकरण में, जहां एक से अधिक आरोपी हों, मूल्यांकन के लिए भारी मात्रा में साक्ष्य हों, दर्जनों साक्षी से पूछताछ की जानी हो और विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उचित संभावना न हो और जहां देरी आरोपी के कारण न हो, वहां पीएमएलए की धारा 45 को यंत्रवत् लागू करके निरंतर हिरासत में रखना इस प्रावधान को सुरक्षा उपाय के बजाय कारावास के एक उपकरण में बदल देगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

96. जैसा कि अनेक निर्णयों में लगातार कहा गया है, संवैधानिक न्यायालयों को संविधान के तीसरे भाग में निहित आधारों पर जमानत देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।पीएमएलए की धारा 45 पूर्ण प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करती है, और न ही कर सकती है, जहाँ निरंतर कारावास व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो।अनुच्छेद 21 के तहत दी गई पवित्र गारंटी विशेष कानूनों में निहित कठोर प्रावधानों के बावजूद भी सर्वोपरि होनी चाहिए।

97. वर्तमान प्रकरण में, आवेदक 18.07.2025 से अभिरक्षा में है और निकट भविष्य में विचारण के समाप्त होने की संभावना नहीं है। अभिलेख से स्पष्ट है कि देरी के लिए आवेदक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में निर्देश जारी किए गए थे कि **रॉबर्ट लालचुंगनुंगा चोंगथु @ आर.एल.चोंगथु बनाम बिहार राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2511 के** प्रकरण में अन्वेषण अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती है, जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :20. इस आधार पर अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोग रद्द किया जाना चाहिए।निष्कर्ष यह है कि यद्यपि राज्य द्वारा लगातार उठाए गए एक मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने शस्त्र अधिनियम की धारा 13(2ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र में कार्य किया, परन्तु चूंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे पहले ही दोषमुक्त कर दिया है, इसलिए इस विवाद्यक पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है।मंजूरी के अनुचित होने और

आरोपपत्र दाखिल करने में हुई भारी देरी के साथ–साथ परिणामस्वरूप हुई कार्यवाही के विवाद्यक पर, हमने अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय लिया है।तदनुसार अपील को स्वीकृति दी जाती है।

21. इस मामले को समाप्त करने से पहले, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं:

(i) विनय त्यागी बनाम इरशाद अली27 के प्रकरण को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) का एक भाग है। ऐसी स्थिति में, हमारे विचार से, ऐसी अनुमति देने के बाद न्यायालय का कार्य समाप्त नहीं हो जाता है।चूंकि आगे की अन्वेषण करने वाला न्यायालय की अनुमति से की जा रही है, इसलिए न्यायिक प्रबंधन/नियंत्रण न्यायालय का कर्तव्य है।

(ii) आपराधिक कानून की कार्यप्रणाली के सुचारू संचालन के लिए तर्क अनिवार्य हैं।ये न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही की आधारशिला हैं।यदि न्यायालय को यह पता चलता है या अभियुक्त यह आरोप लगाता है (स्पष्ट रूप से आरोप को प्रमाणित करने के लिए सबूत और कारण सहित) कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और अंतिम आरोप पत्र के बीच काफी अंतर है, तो न्यायालय जांच एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगने और दिए गए स्पष्टीकरण की उपयुक्तता से संतुष्ट होने के लिए बाध्य है।उपरोक्त निर्देश केवल इसी मामले के आधार पर नहीं दिया गया है।इस न्यायालय ने कई दुर्भाग्यपूर्ण अवसरों पर देखा है कि आरोपपत्र दाखिल करने/संज्ञान लेने आदि में भारी देरी होती है। इस न्यायालय ने अपने निर्णयों में बार–बार इस बात पर जोर दिया है कि त्वरित जांच और सुनवाई आरोपी, पीड़ित और समाज के लिए महत्वपूर्ण है।हालांकि, विभिन्न कारणों से इस मान्यता को वास्तविकता में बदलने में अभी भी विलंब हो रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) जबकि यह सर्वविदित और मान्यता प्राप्त है कि अन्वेषण प्रक्रिया में कई गतिशील पहलू होते हैं और इसलिए सख्त समयसीमा निर्धारित करना अव्यावहारिक है, वहीं साथ ही, इस निर्णय के पूर्व भाग में की गई चर्चा स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि जांच अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती है।एक निश्चित समय के बाद, अभियुक्त को अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में स्पष्टता की उम्मीद करने का पूरा अधिकार है, जिससे उसे अपना बचाव तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।यदि किसी विशेष अपराध की अन्वेषण अनुचित रूप से लंबी अवधि तक जारी रही है, वह भी पर्याप्त औचित्य के बिना, जैसा कि इस मामले में है, तो अभियुक्त या परिवादी दोनों को धारा 528 बीएनएसएस/482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय में जाकर जांच की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने या, यदि अभियुक्त ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, तो प्रकरण को रद्द करने की मांग करने की स्वतंत्रता होगी।यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्वेषण पूरी होने में देरी केवल एक आधार के रूप में कार्य करेगी, और यदि न्यायालय अपने विवेक से इस आवेदन पर विचार करने का निर्णय लेता है, तो अन्य आधारों पर भी विचार करना होगा।

(iv) कारण न केवल न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि प्रशासनिक प्रकरण में भी उतने ही आवश्यक हैं, विशेषकर मंजूरी जैसे मामलों में, क्योंकि वे गंभीर परिणामों का मार्ग प्रशस्त करते हैं।स्वीकृति देने या अस्वीकार

करने वाले अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने में विवेक का प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, जिसमें निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करना भी शामिल है।"

98. यह निर्विवाद है कि इस प्रकरण में अन्वेषण मुख्य रूप से दस्तावेजी प्रकृति की है और आवेदक काफी समय से अभिरक्षा में है . प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्रित सामग्री, जिसमें पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयान और डिजिटल/वित्तीय अभिलेख शामिल हैं, पहले ही अभिलेख में लाए जा चुके हैं। इस स्तर पर, ऐसी सामग्री का साक्ष्य मूल्य विचारण के दौरान परखा जाएगा, न कि जमानत के चरण में अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा।

99. शीघ्र विचारण का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है, जिसे प्रक्रियात्मक कठोरता के नाम पर बलिदान नहीं किया जा सकता है।सर्वोच्च न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम सीबीआई एवं ईडी (2024)** प्रकरण में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां विचारण का उचित अवधि में समाप्त होना संभव नहीं है, वहां विशेष विधि के तहत लंबी अवधि तक विचारण से पहले अभिरक्षा में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, विशेष रूप से तब जब विचारण का निष्कर्ष पूर्वानुमानित न हो, यहां तक कि आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में भी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

100. प्रवर्तन निदेशालय का यह तर्क कि आवेदक राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करता है, हालांकि इस पर ध्यान दिया गया है, लेकिन साक्षी को डराने–धमकाने या न्याय में बाधा डालने के वास्तविक प्रयासों को प्रदर्शित करने वाली विशिष्ट सामग्री के अभाव में जमानत से इनकार करने के लिए इसे अकेले आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।आशंकाएँ, चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हों, ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए, न कि अटकलों पर।यह भी ध्यान देने योग्य है कि कई अभियोजन परिवाद पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं और दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित हैं।ऐसी परिस्थितियों में, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना काफी कम हो जाती है।

101. यह न्यायालय पीएमएलए के अंतर्गत अपराधों की गंभीरता और देश की वित्तीय स्थिति पर धन शोधन के हानिकारक प्रभाव से अवगत है।हालाँकि, आरोपों की गंभीरता मात्र से आजीवन कारावास का औचित्य नहीं बन सकती है, विशेषकर तब जब न्याय प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं।आपराधिक न्याय प्रणाली ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती है जहाँ अभिरक्षा नियम बन जाए और विचारण अपवाद।ऐसा दृष्टिकोण जमानत की अवधारणा को मात्र एक भ्रम बना देगा और अनुच्छेद 21 को निरर्थक बना देगा।

102. ईडी का यह तर्क कि समानता पूरी तरह से लागू नहीं होती, पर विधिवत विचार किया गया है। यद्यपि यह सही है कि विशिष्ट परिस्थितियों में पारित जमानत आदेश बाध्यकारी मिसाल नहीं बनते है, फिर भी समानता इस मामले में एकमात्र निर्णायक कारक नहीं है।यहाँ जमानत देना पूर्व में व्यतीत अभिरक्षा की अवधि, कार्यवाही के चरण, साक्ष्य की प्रकृति और इस सर्वोपरि संवैधानिक जनादेश कि जमानत नियम है तथा जेल एक अपवाद है, के संचयी मूल्यांकन पर आधारित है।

103. इस न्यायालय के लिए यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सह–आरोपी अनिल टुटेजा के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 11790/2024 (अनिल तुतेजा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) पर सुनवाई करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय और संबंधित राज्य अधिकारियों सहित अन्वेषण एजेंसियों को स्पष्ट और समयबद्ध निर्देश जारी किया है कि वे उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरी करें और परिवाद/अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल करें।यहां यह उल्लेख करना सुसंगत है कि जब आगे की अन्वेषण शुरू की गई थी, तब सर्वोच्च न्यायालय ने आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी थी।फिर भी, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद अन्वेषण के लिए अनुमति प्राप्त करने की विधिक आवश्यकता से संबंधित नहीं था।बल्कि, सीमित विवाद्यक केवल अन्वेषण को शीघ्रता से पूरा करने तक ही सीमित था और केवल इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूरा करने के लिए तीन महीने की अवधि प्रदान की।

104. आवेदक की कथित भूमिका उन कई वरिष्ठ आरोपियों की तुलना में काफी कम है जिन्हें पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।इसलिए, आवेदक को जमानत देने से इनकार करना समता के सुस्थापित सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जो जमानत संबंधी न्यायशास्त्र का एक मूलभूत आधार है।अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर और अरविंद सिंह सहित कई सह–आरोपियों को, जो इस गिरोह के सरगना और प्रमुख षड्यंत्रकर्ता हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है और वर्तमान आवेदक की भूमिका न तो गंभीर है और न ही उनसे गुणात्मक रूप से भिन्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

105. सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं सह–आरोपी के विरुद्ध जांच को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सीमित करना और उसके बाद जमानत मांगने के अधिकार को सुरक्षित रखना उचित समझा है, इसलिए किसी भी स्पष्ट आवश्यकता या नए अभियोगात्मक सबूत के अभाव में वर्तमान आवेदक को विचारण से पहले लंबे समय तक अभिरक्षा में रखना जमानत न्यायशास्त्र को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा।

106. समता का सिद्धांत, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का एक पहलू है और जमानत न्यायशास्त्र का एक सुस्थापित सिद्धांत है, यह अनिवार्य करता है कि समान परिस्थितियों वाले अभियुक्त व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले प्रकरण में अलग–अलग व्यवहार मानकों के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय ने सह–आरोपी के खिलाफ जांच को समाप्त करने के लिए निर्धारित सीमाओं को स्पष्ट कर दिया है और उसके बाद योग्यता के आधार पर जमानत पर विचार करने की परिकल्पना की है, तो यह न्यायालय अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल होगा यदि कम गंभीर स्थिति वाले वर्तमान आवेदक को वही मानक संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया जाता है।

107. यह सर्वविदित विधिक तथ्य है कि समानता का अर्थ आदेशों की हूबहू नकल करना नहीं है; हालांकि, जब तक बाध्यकारी प्रकृति की विशिष्ट परिस्थितियां सिद्ध न हों, न्यायालय को न्यायिक दृष्टिकोण में एकरूपता सुनिश्चित करनी चाहिए।उत्तरवादी द्वारा वर्तमान आवेदक के साथ उक्त सह–आरोपी अनिल टुटेजा की तुलना

में कठोर या अधिक प्रतिबंधात्मक व्यवहार को उचित ठहराने के लिए कोई भी विशिष्ट सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, कथित सरगना, प्रमुख षड्यंत्रकारी और लेन–देन के प्रमुख लाभार्थी अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लों हैं, जो कथित अपराध के मुख्य सूत्रधार और लाभार्थी हैं।इन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

108. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत सामग्री में आवेदक के नाम पर कोई दस्तावेज, आधिकारिक संचार, वित्तीय साधन, बैंक खाता या संपत्ति नहीं है, जो स्वयं ही अपराध की आय उत्पन्न करने में प्रत्यक्ष संलिप्तता को प्रदर्शित करे।वर्तमान में, ये आरोप मुख्य रूप से पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों और प्रभाव और निकटता के बारे में व्यापक दावों पर आधारित हैं, न कि किसी ठोस कृत्य पर।यद्यपि यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक सिंडिकेट के "शीर्ष" पर था, परंतु इस बात को साबित करने के लिए कोई समकालीन दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आवेदक ने खरीद निर्णयों, कमीशन दरों के निर्धारण, निविदाओं के आवंटन, शराब की आवाजाही या नकद संग्रह के प्रबंधन पर नियंत्रण रखा था।अभियोजन पक्ष ने आवेदक से संबंधित किसी भी बैठक के कार्यवृत्त, लिखित निर्देश, डिजिटल संचार या वित्तीय साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया है जो प्रथम दृष्टया ऐसी भूमिका को प्रमाणित कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

109. अभियोजन पक्ष का विवरण इस आधार पर आगे बढ़ता है कि कथित सिंडिकेट का संचालन लोक सेवकों और निजी मध्यस्थों द्वारा किया जाता था, और दैनिक कार्यों का निष्पादन कथित तौर पर कुछ नामित अधिकारियों और सहयोगियों द्वारा किया जाता था।यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि आवेदक ने आबकारी विभाग, सीएसएमसीएल, सीएसबीसीएल या किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकरण में कोई वैधानिक पद धारण किया हो, और न ही उस पर अनुसूचित अपराधों के अंतर्गत आने वाले किसी प्रशासनिक निर्देश, नीतिगत निर्णय या आधिकारिक आदेश जारी करने का आरोप है।

110. तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र विचार और तथ्यात्मक पृष्ठभूमि तथा विधिक स्थिति के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है।संवैधानिक आनुपातिकता के मानदंड पर परखे जाने पर, पीएमएलए की धारा 45 की वैधानिक शक्ति इस स्तर पर पर्याप्त रूप से सिद्ध होती है।वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के आधार पर, आवेदक को निरंतर कारावास में रखना विचारण से पहले के दंड के समान होगा, जो आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है।

111. यह न्यायालय संतुष्ट है कि विचारण के दौरान आवेदक की उपस्थिति सुनिश्चित करने और स्वतंत्रता के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर शर्तें लागू करके न्याय के उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जा सकता है।अतः, जमानत याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और इसे स्वीकार किया जाता है।संबंधित

विचारण न्यायालय, ईडी/उत्तरवादी की सुनवाई के बाद निर्धारित की जाने वाली कड़ी शर्तों और नियमों के अधीन आवेदक को जमानत पर रिहा करेगी।इस शर्त में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) यदि कोई पासपोर्ट हो तो उसे सरेंडर करना;

(ख) संबंधित न्यायालय के समक्ष शपथपूर्वक यह वचन देना कि वह नियमित रूप से और समय पर विचारण न्यायालय में उपस्थित होगा तथा मामले के शीघ्र निराकरण के लिए विचारण न्यायालय के साथ सहयोग करेगा; और

(ग) यदि यह पाया जाता है कि आवेदक प्रकरण के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित न्यायालय के साथ सहयोग नहीं कर रहा है या जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो उत्तरवादी संबंधित न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।

112. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ सख्ती से वर्तमान जमानत आवेदन के निर्णय तक ही सीमित हैं और विचारण के दौरान प्रकरण के गुण–दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur